नेशनल लोक अदालत दिनांक : 09/09/2017।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण कल्ला उर्फ कल्याण एवं चेटा उर्फ दिलीप सहित श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता।

फरियादी / आवेदक गेंदालाल सहित श्री जगदीश राणा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

फरियादी / आवेदक गेंदालाल बघेल पुत्र घन सुन्दर बघेल, निवासी :— ग्राम गुहीसर, परगना—गोहद, जिला—भिण्ड ने उसके अधिवक्ता श्री जगदीश राणा के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 379 भा. द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी / आहत गेंदालाल अभियोजित अपराध की धारा 379 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री जगदीश राणा अधिवक्ता द्वारा की है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगत और उसके संबंध मध्र हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 379 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषम्क्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में चोरी गई छः पड़ियाँ दिनांक ं 10/06/2016 को आरोपी कल्यान सिंह गुर्जर से जब्त कर फरियादी गेंदालाल को विवेचना के दौरान अभियोग पत्र प्रस्तुति से पूर्व दिनांक : 10/06/2016 को ही पुलिस द्वारा सुपुर्दगी पर प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण में आरोपी दिलीप उर्फ चेटा से जब्तशुदा लोहे के जंग लगे डूमा मूल्यहीन होने से नष्टकर व्ययनित की जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

- 01. राजीव कांकर अधिवक्ता (सदस्य) (पंकज शर्मा)
- 02. रविरमन बाजपेई अधिवक्ता (सदस्य) <u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u> जिला भिण्ड